

उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग-1
संख्या- ५७६३ /१६-आयुष-१-२०२३-डब्लू-१७४ /२०२३
लखनऊ दिनांक १२ दिसम्बर, २०२३

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1939 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 की धारा-27, 28, 29 एवं 30 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्साभ्यास करने एवं ऐसे चिकित्सा अर्हता रखने वाले चिकित्सक (जो कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 से आच्छादित नहीं होते थे) के पंजीकरण शासनादेश दिनांक 11.06.2019 की भाँति, याचीगण (श्री रविन्द्र कुमार मंजुल व अन्य) द्वारा यू०पी० इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 की धारा-27, 28, 29 एवं 30 के प्राविधानों में संशोधन करते हुये उ०प्र० राज्य में भी पंजीकरण किये जाने एवं चिकित्सकीय अभ्यास किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-२९९५१ /२०२२ रविन्द्र कुमार मंजुल व ६२ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक २५.०१.२०२३ को सुनवाई करते हुये आदेश पारित किये गये, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है :-

In view of the aforesaid, with the consent of the learned counsel for the parties and without expressing any opinion on merits of the case of the petitioners, we direct the respondent no.1 to look into the grievance of the petitioners and take appropriate decision in accordance with law within six weeks from the date of production of a certified copy of this order. It is made clear that we have not expressed any opinion on merits of the case of the petitioners.

मा० उच्च न्यायालय द्वारा अपने उपर्युक्त आदेशों में याचीगण के प्रकरण पर ०६ सप्ताह में प्रतिपक्षी संख्या-०१ द्वारा नियमानुसार निर्णय लिये जाने के निर्देश के साथ याचिका निस्तारित की गयी है।

2- याचीगण श्री रविन्द्र कुमार मंजुल व अन्य द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका संख्या-२९९५१ /२०२२ रविन्द्र कुमार मंजुल व ६२ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक २५.०१.२०२३ के अनुपालन में अपना प्रत्यावेदन दिनांक ०७.०२.२०२३ एवं २०.०७.२०२३, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिसमें मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक २५.०१.२०२३ का अनुपालन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- प्रकरण में रजिस्ट्रार, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक ०४.०८.२०२३ के माध्यम से आख्या उपलब्ध कराते हुये निम्नवत् अवगत कराया गया है :-

- (1) यू०पी० इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 की धारा 27, 28, 29 एवं 30 की अनुसूची के अधीन पैरा-३ के अन्तर्गत ऐसे वैद्य/हकीम जो उ०प्र० की या उसके बाहर के किसी ऐसे आयुर्वेदिक या यूनानी संस्था से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, जो रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो, के पंजीयन बोर्ड द्वारा किये जाते रहे हैं।
- (2) ऐसे चिकित्सा अर्हता रखने वाले व्यक्ति, जिनकी चिकित्सकीय अर्हता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की द्वितीय अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है, के पंजीकरण पर प्रतिबन्ध है।
- (3) राज्य सरकार द्वारा उ०प्र० भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1982 दिनांक ०२ जुलाई १९८२ लागू करते हुए धारा-८ द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा नई आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सा शिक्षा की संस्थाओं को खोलने एवं संचालित करने एवं नये छात्रों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

(4) सूच्य है कि निजी संस्थान भारत तिब्बिया कालेज एवं अन्य, शिफा-उल-मुल्क तिब्बिया कालेज व महर्षि चरक आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर व अन्य द्वारा मा० उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकायें योजित की गयी थी जिसमें आई०एम०सी०सी० एक्ट 1970 की द्वितीय अनुसूची में समिलित किये जाने हेतु योजित की गयी थी जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा सभी याचिकाओं को सम्बद्ध करते हुये दिनांक 11.12.2014 द्वारा आदेश पारित करते हुये याचिका निस्तारित की गयी थी, जिसमें अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2018 द्वारा उक्त संस्थाओं एवं मान्यता विहीन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट एवं डी०ए०एम०/डी०य०एम० अर्हताधारी चिकित्सकों को चिकित्साभ्यास करने की अनुमति प्रदान न किये जाने का निर्णय लिया गया था।

4— उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा संचालित आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सा पद्धति के द्विवर्षीय/चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रविष्ट एवं उत्तीर्ण छात्रों के पंजीयन की मान्यता प्रदान किये जाने हेतु संस्थाओं द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिसके क्रम में बोर्ड द्वारा दिनांक 29.03.2012 को संस्थाओं के अनुरोध पर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की धारा-14(2) के प्राविधानानुसार द्वितीय अनुसूची में समिलित कराये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली को प्रेषित किये गये थे। जिसके प्रतिउत्तर में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 17.10.2012 द्वारा उक्त संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था।

5— संस्थाओं द्वारा पुनः प्रेषित प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुये भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ने संस्थाओं द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की धारा-14(2) के प्राविधानानुसार द्वितीय अनुसूची में समिलित किये जाने के संबंध में प्रकरण को केन्द्रीय परिषद के लीगल अफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा लीगल कमेटी ने भी दिनांक 15.10.2014 में निर्णय लिया कि “इस प्रकार की योग्यता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 द्वितीय अनुसूची में समिलित नहीं की जा सकती। अर्थात् मान्यता विहीन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अर्हता धारी चिकित्सकों को चिकित्साभ्यास करने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती है।”

6— उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939) अनुकूलन एवं उपरान्तरण आदेश 2002 की धारा 27,28,29 एवं 30 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्साभ्यास कर रहे ऐसे चिकित्सा अर्हता रखने वाले व्यक्ति, जो कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 से आच्छादित नहीं होते हैं, ऐसे चिकित्साभ्यासियों का पंजीकरण उत्तराखण्ड राज्य के शासनादेश दिनांक 11 जून, 2019 द्वारा किया गया है एवं चिकित्सकीय अभ्यास किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि “यह पंजीयन श्रेणी द्वितीय में पृथक राज्य पंजिका में प्रविष्ट किया जायेगा एवं यह पंजीयन मात्र निजी चिकित्साभ्यास हेतु मान्य होगा तथा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के अधीन राजकीय सेवा हेतु मान्य नहीं होगा। उक्त पंजीकृत अभ्यर्थी राज्य अथवा केन्द्रीय चिकित्सा परिषद के चुनाव हेतु न तो अपना अभ्यर्थन करेंगे और न ही मताधिकार का प्रयोग करेंगे।”

7— यू०पी० इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 की धारा 27, 28, 29 एवं 30 की अनुसूची के अधीन पैरा-3 के अन्तर्गत ऐसे वैद्य/हकीम जो उ०प्र० की या उसके बाहर के किसी ऐसे आयुर्वेदिक या यूनानी संस्था से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, जो रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो, के पंजीयन आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र० द्वारा किये जाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा उ०प्र० भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1982 दिनांक 02 जुलाई 1982 लागू करते हुए धारा-8 द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत

व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा नई आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सा शिक्षा की संस्थाओं को खोलने एवं संचालित करने एवं नये छात्रों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

ऐसे चिकित्सा अर्हता रखने वाले व्यक्ति, जिनकी चिकित्सकीय अर्हता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की द्वितीय अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है, के पंजीकरण पर प्रतिबन्ध है।

उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य में मान्यता विहीन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अर्हता धारी चिकित्सकों को चिकित्साभ्यास करने की अनुमति प्रदान किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उ0प्र0 इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 की धारा-27,28,29 एवं 30 में किसी भी प्रकार का संशोधन का औचित्य नहीं है।

8— अतएव उपरोक्त वर्णित स्थिति में प्रकरण में रजिस्ट्रार, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के दृष्टिगत रिट याचिका संख्या-29951/2022 रविन्द्र कुमार मंजुल व 62 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2023 के अनुपालन में सम्यक विचारोपरान्त याचीगण श्री रविन्द्र कुमार मंजुल व अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 07.02.2023 एवं 20.07.2023 में की गयी याचना, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 11 जून, 2019 में किये गये प्राविधानों के आलोक में यू0पी० इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 की धारा-27, 28, 29 एवं 30 के प्राविधानों में संशोधन करते हुये उ0प्र0 राज्य में भी पंजीकरण किये जाने एवं चिकित्सकीय अभ्यास किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, का उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर नियमानुसार औचित्य नहीं पाया गया।


तदनुसार याचीगण श्री रविन्द्र कुमार मंजुल व अन्य के प्रत्यावेदन दिनांक 07.02.2023 एवं 20.07.2023 को एतद्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या- ५७६३ (१) / ९६-आयुष-१-२०२३, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. रजिस्ट्रार, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0।
5. संबंधित याचीगण (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ)।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।